



Gulshan Polyols Limited
CIN: L24231UP2000PLC034918
Corporate Office: G-81, Preet Vihar,
Delhi-110092, India
Phone : +91 11 49999200
Fax : +91 11 49999202
E-mail : cs@gulshanindia.com
Website: www.gulshanindia.com

GPL\SEC\03\2025-26

May 03, 2025

To,
BSE Limited
Department of Corporate Service,
Floor 25, P. J. Towers,
Dalal Street, Mumbai
Maharashtra- 400 001

National Stock Exchange of India Limited
Listing Department
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai
Maharashtra-400 051

Scrip Code: 532457

Symbol: GULPOLY

Subject: Intimation under Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 regarding "Information regarding the decision taken in the 34th meeting of the State Level Empowered Committee held on 02.04.2025 for approval of benefits under the MP Investment Promotion Assistance Scheme, 2014 – Suvidha / Sahayata."(DIP23288)

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we wish to inform you that the Company has received a communication dated **02.05.2025** from **MP Industrial Development Corporation Limited (MPIDC)**.

The said communication pertains to the approval granted under the Single Location Energy Consumer (SLEC) category. The state level empowered committee took the following decisions in its 34th Meeting held on 02.04.2025:-

1. **Production linked physical assistance:** "Assistance at the rate of Rs. 1.5 per litre on ethanol supplied to OMCs (Oil Marketing Companies) shall be provided for the period from 01.07.2023 to 30.06.2030 (seven years).
2. **Electricity tariff exemption:** The electricity tariff exemption will be for the period from 01.07.2023 to 30.06.2028 (5 years).
3. **Stamp duty and registration fee reimbursement** - The unit will be eligible for 100% reimbursement of the total amount paid for stamp duty and registration.
4. **Reimbursement of Mandi Tax** – The unit shall be eligible for 100% reimbursement of the mandi tax paid on the purchase of food grains for ethanol production for a period of five years, from 01.07.2023 to 30.06.2028.

The copy of the said communication is enclosed herewith for your reference and records.

Thanking you,
Yours faithfully

For GULSHAN POLYOLS LIMITED

CHANDRA
KUMAR JAIN
Digitally signed by
CHANDRA KUMAR
JAIN
Date: 2025.05.03
13:20:36 +05'30'

Dr. Chandra Kumar Jain
Chairman & Managing Director
DIN 00062221

क्र. 230 / एमपीआईडीसी / फिस्कल इंसेन्टिव / 2025 / 5679 भोपाल दिनांक 02.05.2025
प्रति,

✓ मेसर्स गुलशन पॉलीओल्स लिमिटेड,
प्लॉट क्र. 3-9 एवं डी16-डी20, औद्योगिक क्षेत्र बोरगांव,
तहसील सोंसर, जिला छिन्दवाड़ा।

विषय:- मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना-2014 अंतर्गत सुविधा / सहायता की स्वीकृति हेतु
राज्य स्तरीय साधिकार समिति की 34वीं बैठक दिनांक 02.04.2025 में लिये गये
निर्णय की सूचना बावत। (DIPIP23288)

राज्य स्तरीय साधिकार समिति की 34वीं बैठक दिनांक 02.04.2025 में निम्नानुसार
निर्णय लिया गया:-

1. **प्रोडक्शन लिंकड फिस्कल असिसटेन्स** - इकाई OMCs, को उपलब्ध कराये गये एथनॉल पर रु. 1.5 प्रति लीटर की दर से दिनांक **01.07.2023 से 30.06.2030 (7 वर्ष)** के लिये सहायता हेतु इस शर्त पर पात्र होगी कि इकाई में उत्पादित एथनॉल का न्यूनतम 75 प्रतिशत OMCs को उपलब्ध कराया जाएगा एवं एथनॉल उत्पादन हेतु फूड ग्रेन्स (गन्ना (मोलासेस) और महुआ को छोड़कर) का उपयोग किया जाएगा। कुल सहायता यंत्र-संयंत्र एवं भवन में किये गये मान्य निवेश की 100 प्रतिशत तक अर्थात् **रु. 229.38 करोड़** तक सीमित होगी।
2. **विद्युत शुल्क से छूट** - इकाई को निम्नानुसार दिनांक **01.07.2023 से 30.06.2028 (5 वर्ष)** हेतु विद्युत शुल्क से छूट की पात्रता होगी-
 - I. **DISCOM संयोजन**- 2500 केव्हीए (33 केव्ही) तक सीमित भार पर एथनॉल विनिर्माण हेतु
 - II. **Co-gen Plant** - एथनॉल विनिर्माण हेतु

इस हेतु ऊर्जा विभाग द्वारा पृथक से अधिसूचना जारी की जाएगी।

3. **स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति**- इकाई द्वारा स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क हेतु चुकाई गई कुल राशि की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होगी।
4. **मण्डी टैक्स की प्रतिपूर्ति**- इकाई को एथनॉल उत्पादन हेतु फूड ग्रेन्स की खरीद पर चुकाये गये मण्डी टैक्स की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति हेतु दिनांक **01.07.2023 से 30.06.2028 (5 वर्ष)** तक पात्रता होगी। मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन इकाई द्वारा चुकाये गये मण्डी टैक्स की वास्तविक राशि का विवरण एमपीआईडीसी को उपलब्ध कराया जायेगा -

- I. यह सहायता उन इकाईयों को उपलब्ध कराई जाएगी जो इस राज्य की कृषि उपज का क्रय करती है।


प्रबंध संचालक
एमपीआईडीसी
(सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय साधिकार समिति)

पृ क्र. 229/एमपीआईडीसी/फिस्कल इंसेन्टिव/ 2025

भोपाल दिनांक .05.2025

प्रतिलिपि:-

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर विद्युत शुल्क से छूट अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, 26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

/

प्रबंध संचालक
एमपीआईडीसी
(सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय साधिकार समिति)